भू-मण्डलीकरण के दौर में हिन्दी के नवीन प्रतिमान

शोधपत्र-हिन्दी

* संगीता मित्तल

एक संयुक्त एकीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो देश की एकता का ज्वलन्त प्रतीक हो और हिन्दी ही एक मात्रा भाषा है जो इस पर आरूढ़ हो सकती है।[1]

—डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी

प्लेटो ने सोपिफस्ट में आत्मा, विचार एवं भाषा का पारस्परिक सम्बन्ध बताते हुए कहा है 'विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत हैं, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।[2] इस आधर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के द्वारा उस राष्ट्र की आत्मा की वैचारिक एवं भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा की अपनी आन–बान और शान है अपना स्वाभिमान है। इसलिए सभी अपने अपने क्षेत्रों में पटरानी बनकर सम्मानित करती रहें किन्तु सभी भाषाओं को जोड़ने की कड़ी हिन्दी है इसलिए भारत में हिन्दी क्षेत्रो में हिन्दी को बेहतर दर्जा मिले यह मांग अपने में जायज है। आज हिन्दी दुनिया के एक अरब लोगों की भाषा है और इस हिसाब से वह विश्व की तीन सबसे बड़ी भाषाओं की गिनती में शामिल हो चुकी है। यदि दुनिया की तीन चार बड़ी भाषाओं में हिन्दी एक है तो सिर्फ हिन्दी भाषियों के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की राष्ट्रभाषा के तौर पर देश और दुनिया में हिन्दी की हैसियत तो दूर की बात है यह अपने ही देश के राष्ट्रीय जीवन में हाशिये से धकेल दी गई है जिस हिन्दी की क्षमता विश्व भाषा बनने की है। आज हिन्दी सुदूर देशों में सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। फिजी, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, जैसे देशों के लिए हिन्दी वहाँ रहने भारत वासियों के लिए सांस्कृतिक भाषा है तो नेपाल, चीन के लिए सद्भाव की भाषा है। अमेरिका में ही 68 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन चल रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हिन्दी के साथ भारतीय भाषाओं के केन्द्र स्थापित है। इस प्रकार के केन्द्रों में शिकागो, कैलीफोर्नियाँ, टेक्सास, वाशिंगटन अमेरिकन विश्वविद्यालय आदि प्रमुख है। विर्जीनिया में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति का गठन हुआ है। आज इसकी विभिन्न शाखाएँ भी बन गई है। हिन्दी की प्रचार–प्रसार और विस्तार में वहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं 'विश्वभारती' 'संगम' और 'जीवन ज्योति' का अधिक योगदान है। नेपाल, मॉरीशस, के हिन्दी लेखकों की पुस्तकें भारत में प्रकाशित हो रही हैं विश्व के अनेक देशों से हिन्दी की अच्छी पत्रिकाएँ निकल रही हैं [3] उसी हिन्दी की अपने ही देश राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति उदासीनता सचमुच आश्चर्य का विषय है। जिस हिन्दी की क्षमता विश्वभाषा बनने की है, हिन्दी प्रदेशों में उसका स्थान अंग्रेजी के बाद ही आता है। सच तो यह है कि यह अमर्यादित स्थिति अनायास ही नही आयी। यह शासनवर्ग की सोची समझी साजिश का ही परिणाम है औपनिवेशिक शासन के दौर में अंग्रेजों ने जिस अंग्रेजी का बीजारोपण किया आज वह एक बरगद का रूप धारण कर चुका है जिस तरह से बरगद के वृक्ष के नीचे छोटे पेड़–पौध विकसित नहीं हो पाते उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं को विकसित नहीं होने दे रही है।[4] सचमुच लार्ड मैकाले की सूझ बड़ी सुदृढ़ थी उसने अपने सेक्रेटरी को लिखा था कि मैं नहीं कह सकता कि भारत देश राजनीतिक रूप से आपके अधीन रह पायेगा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य करके जा रहा हूँ कि यह देश राजनीतिक स्वतंत्रता पा लेने के बाबजूद भी अंग्रेजी मानसिकता व अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकेगा।[5] संविधान अनुच्छेद 346 के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। हिन्दी भाषा राज्य क 'क्षेत्र' के अन्तर्गत आते हैं। इन राज्यों में स्थित कार्यालयों और वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा हिन्दी में ही पत्र दिए जाने की व्यवस्था निर्धरित है यदि पत्र अँगरेजी में हुआ, तो उसका हिन्दी अनुवाद भेजा जायेगा। हिंदी की सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिंदी भाषी राज्यों में ही है। यहाँ हिंदी का प्रयोग और उसे आचरण में उतारने में बड़े–बड़े भाषण तो दिए जाते हैं। शासकीय आदेश के घोड़े भी दौड़ जाते हैं कि 'हिन्दी में

* 558, सिविल लाइन्स, मोतीबाग, बुलन्दशहर

कार्य न करना कदर्थ आचरण माना जाएगा, मगर यह मात्रा औपचारिक होकर ही रह जाता है। एक भी हिंदी भाषी राज्य में 'राजभाषा' के रूप में हिन्दी की अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं बन पाई है, क्योंकि संविधन निर्माताओं ने यह प्रावधान रखा था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ में सभी सरकारी कार्यों के लिए जारी रहेगा। परन्तु यह प्रावधन जोंक की तरह चिपका हुआ है। अंग्रेजी इतने वर्षों बाद भी नहीं हटी जबकि प्राथमिकता हिन्दी को मिलनी चाहिए थी। आज अंग्रेजी अभिजात्य भाषा का प्रतीक बन गई है। तो सिपर्फ इसलिए नहीं कि सम्प्रेष्णीयता के सन्दर्भ में इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है बल्कि इसीलिए कि शासनवर्ग सामन्ती ढर्रे के भाषाई वैशिष्ट्य का यह प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए भी कि बहुजन से अलग–दीखने अभिजनीय कपट में यह प्रत्यक्ष सहयोग करती है। भाषा के स्तर पर विषमता की बात बेमानी यह मात्रा बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज है।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में 5000 फैसले हिन्दी में लिखने का कीर्तिमान वाले न्यायमूर्ति प्रेम स्वरूप गुप्त सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ इसलिए नहीं जा सके कि वहाँ अंग्रेजी में ही न्याय देने की अनिवार्यता थी अगर यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा स्वीकार नहीं करता तो इससे बड़ा राष्ट्रीय अपमान और क्या हो सकता है?[6] मतभेद, मनभेद, विभिन्नताए आदि समस्यायें ये सभी बुद्धिजीवियों के मन की खुरापात हैं। वास्तविकता को छिपाने का आधार है। हिन्दी में जिस तरह बहुरंगी अभिव्यक्तियाँ सहज उपलब्ध हैं ऐसा गुण प्रत्यंत करने पर भी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं हो सकता। बालगंगाधर तिलक, दयानन्द सरस्वती, बंकिम चन्द चटर्जी, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, काका कालेलकर सभी महापुरूषों ने राष्ट्रभाषा के तौर पर हिन्दी के लिए लड़ाई की जबकि किसी की भाषा मातृभाषा नहीं थी । सुनीति कुमार चटर्जी लिखते हैं :– ''बंकिम चन्द्र चटर्जी भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते थे'' यह बात बंगाल के उच्चकोटि के साहित्यिक पत्र 'बंग दर्शन' में प्रकाशित बारह पन्नों के एक लेख में स्पष्ट होती है।[7] एक बार दयानन्द सरस्वती जब कलकत्ते गये, तो वहाँ केशवचन्द सेन ने उनको सुना। स्वामी गुजराती थे और अपना सारा भाषण संस्कृत में दिया तब सेन जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप संस्कृत के बजाय हिंदी में बोले तो ज्यादा लोग आपसे जुड़ेगे तब स्वामी जी ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिन्दी में की।[8] सुभाष चन्द बोस ने राष्ट्रीय एकता में हिन्दी की महत्ता स्वीकारते हुए इस प्रकार कहा '' राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशु(प्रेम और अपनापन होना। आज अगर हिन्दी ''राष्ट्रभाषा'' मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता और क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है।''[9] ऐसे ही अत्यन्त भावनापूर्ण ;किन्तु साथ में अत्यंत तर्कपूर्ण भी विचार हिन्दी की युग–प्रवर्तक कवियत्री महोदवी वर्मा जी ने व्यक्त करते हुए भारतवासियों को सचेत किया था कि – '' संस्कृति तब तक गूँगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। राजनीतिक–पराधिनता की हमारी हथकड़ी–बेड़ी जरूर कटी है, किन्तु अंग्रेजी और अंग्रेजियत के रूप में हमारे मनोबल में जो दासता के चिर्विद्यमान हैं, उन्होने हमें निष्क्रिय बना रखा है। भाषा परिधन मात्रा नहीं, राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे बहुभाषी देश के ही समान रूस भी बहुभाषी है, जिसमें 42 भाषाएं बोली जाती हैं, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता रूसी है। हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएँ हमारी हैं, किन्तु उनमें अपनी व्यापकता, आरम्भ से ही जन विद्रोह और जन संघर्ष को वाणी देते हुए रहने के कारण एवं जीवन के हर क्षेत्र को सँभालने में समर्थ होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है केवल संविधन में लिख देने मात्रा से यह बात पूरी नहीं हो जाती है। इसे राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?''[10] साथ ही भारत के न जाने कितने साहित्यकार ऐसे होंगे जो क्षेत्रीय भाषा के हैं प्रेमचन्द, प्रसाद रामचन्द्र शुक्ल भोजपुरी भाषी थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला बैसबाड़ी बोलने वाले, मैथिलीशरण गुप्त की घरेलू बोली बुन्देली है तो, पन्त की पहाड़ी, बच्चन की अवधी तो दिनकर की मैथिली, अमृता प्रीतम की पंजाबी फिर भी सभी ने साहित्य सृजन हिन्दी में किया। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की वकालत में सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि ये महापुरूष, कवि या लेखक हैं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिन्दी की क्षमता और ग्राह्यता को भली–भाँति समझते थे। क्योंकि हिन्दी ही वह भाषा है जिसमें तमाम भारतीय भाषाएं और बोलियाँ अभिव्यक्ति पा सकती हैं। परन्तु भूमण्डलीकरण के दौर में है जब–जब कहा जाता है कि देश में काम काज हिन्दी में हो तभी विरोध में यह आवाज उठती है कि शिक्षणकार्य आदि में हिन्दी का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता कि अंग्रेजी की तरह हिन्दी के सन्दर्भ में साहित्य, मौलिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यह सच है कि भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में अमेरिकी और ब्रिटिश पहिये का अंग्रेजी

अश्वघोष बहुत तेजी से दुनिया को रौद रहा है उसे रोकना कठिन है परन्तु नामुमकिन नहीं है। आज हमें अपनी पूर्णता सिद्ध करनी होगी उसके लिए तमाम भारतीय भाषाओं की ओर से राष्ट्रभाषा के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति कैसे बने इस पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधियिका समेत पूरे देश को सोचना होगा और साथ ही सोचना होगा सरकार की राजभाषा विभाग को। इसमें रूपा, सुचिता, अंकुर, प्रकाशक, आकृति, आकृत ऑफिस, अक्षर पफार विंडोज, ए. पी. एस., चित्रलेखा, विंकीआदि प्रसिद्ध हैं। देवबेस, अक्षर, शब्द रत्न, सुलिपि आदि साफ्रटवेयर डॉस वातावरण में कार्य करते हुए हिन्दी और अँग्रेजी में शब्द–संसाधन की सुविधा देते हैं। अन्यथा www.yahoo.com, www.google.com,www.rediff.com सबसे अधिक शक्तिशाली सर्वर हैं। www.netjal.com विश्व में पहला एक मात्र सर्च इंजन है जो हिन्दी भाषा में सूचनाएँ उपलब्ध कराता है।

इनमें हिंदी भाषा से जुड़े मुख्य पोर्टल निम्नलिखित हैः– 1. www,webduniya.com (यह विश्व का पहला हिंदी भाषी पोर्टल है।) 2. www.netjall.com (यह भारत की ग्यारह भाषाओं में उपलब्ध एक मात्र भारतीय पोर्टल है) 3. www.jagran.com (यह विश्व का सबसे बड़ा हिन्दी पोर्टल है।) 4. www.intelindia.com 5. www.bharat darshan.com उपर्युक्त पोर्टल पर हिन्दी में सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए विभिन्न चैनल जैसे नेटजाल, वेबदुनिया, और जागरण आदि हैं। वर्तमान में लगभग एक दर्जन हिन्दी समाचार पत्र 'इंटरनेट' पर उपलब्ध है जो कि निम्नांकित हैंः– 1. नई दुनिया–इंदौर ;इंटरनेट पर हिन्दी का प्रथम समाचार पत्रा जो कि 16 जनवरी, 1997 से प्रारम्भ हुआ। 2. हिन्दी मिलाप–हैदराबाद ;यह इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। 3. दैनिक जागरण 4. दैनिक भास्कर 5. इंडिया टुडे 6. अमर उजाला 7. भारत दर्शन 8. नवभारत टाइम्स 9. राजस्थान पत्रिका 10. नव–भारत 11. नेट दैनिक (इसके अतिरिक्त नेट साप्ताहिक भी उपलब्ध है)। 12.अरानन्द 13. नश्कर (लखनऊ से प्रकाशित किंतु वर्तमान में अनुपलब्ध साप्ताहिक)

इसके अतिरिक्त कुछ पत्रिकाएँ भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश सरकार की मध्यप्रदेश पंचायिका, (wwwbbchindi.com, www.air.com आकाशवाणी पर तथा www.aahtak.com, www.ddindia.net दूरदर्शन पर सूचनाएँ सुनाने–दिखाने वाली प्रमुख साइटें हैं। ''भारत–दर्शन'' इंटरनेट पर उपलब्ध भारत की पहली ऑडियों पत्रिका है।

''इंटरनेट'' पर हिंदी भाषा साहित्य के विकास हेतु हिंदी शिक्षकों एवं पाठों की व्यवस्था उपलब्ध है साथ ही भारत सरकार की www.rajbhasaha.com एकमात्र ऐसी बेबसाइट है जो कि हिंदी भाषा में भी शिक्षण की सुविधा प्रदान करती हैं। ये वेबसाइटें केवल भारत में ही नहीं वरन् रूस, सिंगापुर, साइरस, लंदन, आस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भी हिन्दी शिक्षण देने वाली संस्थाओं से जुड़ी हैं।[11] काशीनागरी प्रचारिणी सभा के प्रधनमंत्री पं0 सुधाकर पाण्डेय के अनुसार सभा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' ;जो छः हजार पृष्ठों का है, शीघ्र ही इन्टरनेट पर उपलब्ध होगा इसकी व्यवस्था केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा कर रहा है।

साथ ही आज प्रतिवर्ष विभिन्न स्तरों पर मानक अथवा स्तरीय पुस्तकें, कोश, पत्र पत्रिकाएं भारी मात्रा में प्रकाशित हो रही है और उनमें हिन्दी में लिखी व प्रकाशित प्रकाशनों की प्रतिवर्ष एक निश्चित अनुपात में खरीददार रखने का प्रावधन है ''केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय'' नई दिल्ली, ''वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हिन्दी शिक्षण योजना'', 'राजभाषा विभाग' भारत सरकार इत्यादि प्रकाशन इस दिशा में अग्रणीय हैं। आज हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का सपना साकार हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा था – ''शक्ति जनता के हाथ आ गई है और अपनी हिन्दी की उपेक्षाकरके कोई सरकार स्थाई नहीं हो सकेंगी। सब मिलाकर हिन्दी की उन्नति के सभी द्वार खुल गये हैं, जो बन्द दिख रहे हैं। उनके भी खुलने की आशा है।''[12] क्या है उत्तर , क्या है दक्षिण और क्या है पूरब पश्चिम हिन्दी सारे देश की भाषा, यह निर्णय है अंतिम। आज हम विनोबा भावे के शब्दों की सार्थकता देख रहे है उन्होंने कहा था – हिन्दी को गंगा नही, बल्कि समुद्र बनना होगा।[13]

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्यायें और समाधान : देवेन्द्र नाथ शर्मा : पृष्ठ 159। 2. भाषा द्वैमासिक : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार, जुलाई–अगस्त, 2006: पृष्ठ 23 1 3. हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण : डा0 त्रिभुवननाथ शुक्ल : पृष्ठ 34 । 4. संवेद : सम्पादक किशन कालजयी ;हाशिये पर हिन्दी अप्रैल 2006। 5. सौरभ : न्यूयार्क से प्रकाशित एकमात्र त्रौमासिक पत्रिका पृष्ठ 8 । 6. संवेद : सम्पादक किशन कालजयी ;हाशिये पर हिन्दी पृष्ठ 4 । 7. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएं और समाधन : देवेन्द्र नाथ शर्मा : पृष्ठ 176 । 8. ''अमर उजाला नई दिल्ली'' दिनांक 26 अगस्त 2009, पृष्ठ 18 पर प्रकाशित शंभूनाथ शुक्ल के लेख से ;हिंदी का बाजार ही उसे स्थापित करेगा। 9. भाषा द्वैमासिक : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ 23 । 10. कामकाजी हिन्दी भूमण्डलीकरण के दौर में : डॉ0 देशबन्धु राजेश : पृष्ठ 156 । 11. हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण : डा0 त्रिभुवननाथ शुक्ल : पृष्ठ 148–149 । 12. हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास (उपसंहार) हजारीप्रसाद द्विवेदी : पृष्ठ 267। 13. ''अमर उजाला नई दिल्ली'' दिनांक 26 अगस्त 2009 ।